संख्या-1/2015/1473/18-4-2014-21(विविध)/14

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 22 दिसम्बर,2014

विषयः "उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014" के प्रख्यापन के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1/22, दिनांक 03-06-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु संलग्नक "उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014" के प्रख्यापन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1473/18-4-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
3-निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ।
4-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5-आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि0, लखनऊ।
7-निदेशक, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थान लखनऊ।
8-निदेशक, पर्यटन विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(एच0एम0 झा)
अनु सचिव।

http://sikasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-1473/18-4-2014-21(विविध)/14, दिनांकः 22 दिसम्बर,2014 का संलग्नक

उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014

1- प्रस्तावना

देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध हस्तशिल्प के कारण देश में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। प्रदेश के मुख्य शिल्पों में वाराणसी के साड़ी एवं ब्रोकेट, भदोही एवं मिर्जापुर के कालीन, लखनऊ के चिकन एवं जरी जरदोजी का कार्य, आगरा में पत्थर नक्काशी का कार्य, मुरादाबाद एवं वाराणसी में धातुकला, सहारनपुर व बिजनौर में लकड़ी का कार्य, गोरखपुर में टेराकोटा, बरेली में बेंत-बॉस का कार्य, अलीगढ़ में धातु की मूर्तियां, खुर्जा में पाटरी का काम, फिरोजाबाद में कांच का कार्य एवं आजमगढ़ में ब्लैक पाटरी का कार्य देश में ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। देश के कुल हस्तशिल्पियों की 29 प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश में निर्मित हस्तशिल्प का है। उत्तर प्रदेश में निर्मित हस्तशिल्प के निर्यात में उत्तरोत्तर वृद्धि की असीम संभावनायें हैं जिनके वाणिज्यिक दोहन का समुचित प्रयास किया जाना है।

वर्तमान में प्रदेश के हस्तशिल्प उद्योग में लगे हस्तशिल्पी /दस्तकार/कारीगरों की आर्थिक स्थिति में भी और सुधार की आवश्यकता है, अतः ऐसे प्रयासो की आवश्यकता है जिससे प्रदेश के हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार आये ताकि वे प्रदेश के हस्तशिल्प के विकास में बेहतर योगदान दे सकें।

इसी सिद्धान्त पर प्रदेश सरकार द्वारा एक ऐसी नीति के सृजन का प्रयास किया गया है, जिससे प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ साथ हस्तशिल्प को भी बढ़ावा मिले तथा हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर में न केवल सुधार आये, बल्कि प्रदेश के परम्परागत हस्तशिल्प उद्योग को नया आयाम तथा संरक्षण प्राप्त हो सके। इस दृष्टिकोण से प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम बार हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन हेतु "उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति-2014" तैयार की गयी है।

2- दृष्टिकोण

प्रदेश के परम्परागत हस्तशिल्प उद्योगों को संरक्षण प्रदान करते हुये राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मॉग के अनुरूप विकास के नये आयामों तक पहुँचाना तथा हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर में निरन्तर गुणात्मक सुधार लाना।

3- उद्देश्य

3.1- हस्तशिल्प एवं हस्तशिल्पियों का चिन्हीकरण एवं पंजीकरण।

3.2- उत्पादन में वृद्वि, गुणवत्ता सुधार, कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना एवं मानवसंसाधन विकास।

3.3- हस्तशिल्प उत्पादों की विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना तथा निर्यात में वृद्धि सुनिश्चित करना।

3.4- हस्तशिल्पियों के जीवनस्तर में सुधार एवं व्यक्तिगत विकास सुनिश्चित करना ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- रणनीति

4.1.1 प्रशासनिक ढांचा:-

4.1.1- प्रदेश में हस्तशिल्प नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये वर्तमान प्रशासनिक ढॉचे को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु यथा-आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

4.1.2- हस्तशिल्प विकास हेतु आयुक्त एवं निदेशक उद्योग को पदेन विकास आयुक्त हस्तशिल्प नामित करते हुए उनके अधीन एक विशेष राज्य स्तरीय हस्तशिल्प सेल का गठन किया जायेगा।

4.2- हस्तशिल्प एवं हस्तशिल्पियों का चिन्हीकरण एवं पंजीकरणः-

4.2.1- प्रदेश के सभी जिलों में वास्तविक सर्वेक्षण कराया जायेगा तथा हस्तशिल्पियों का पंजीयन कराकर उन्हें पहचान-पत्र दिलाया जायेगा ।

4.2.2- प्रदेश के विशिष्ट हस्तशिल्पों को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने हेतु भौगोलिक सूचकांक दिलाया जायेगा।

4.3.- हस्तशिल्प उत्पादन में वृद्धि, गुणवत्ता सुधार, कच्चेमाल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना एवं मानव संसाधन विकास:-

4.3.1- प्रदेश में हस्तशिल्प के विकास के लिए क्लस्टर एप्रोच के तहत कार्यवाही की जायेगी।

4.3.2- विभिन्न प्रचलित योजनाओं में हस्तशिल्पियों के लिये उच्चकोटि की अवस्थापना सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जायेगी।

4.3.3- हस्तशिल्प उत्पादन में वृद्धि के लिये टूल्स एवं तकनीकी विकास को बढावा दिया जायेगा।

4.3.4- अधुनांत तकनीकी विकास से सुसज्जित कामन फैसिलिटी सेन्टर विकसित किये जायेंगे।

4.3.5- उत्पादों की डिजायनों में विविधता एवं पैकेजिंग बाजारोन्मुखी बनाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जायेगा।

4.3.6- हस्तशिल्प के विकास के लिए देश/प्रदेश के विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थानों से समन्वय करके तकनीकी विकास एवं डिजाईन डेवलेपमेंट में सहयोग लिया जायेगा।

4.3.7- हस्तशिल्पियों के कौशल विकास हेतु विशेष प्रयास यथा- प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट आदि का आयोजन कराया जायेगा।

4.3.8-कुशल हस्तशिल्पियों को चिन्हांकित कर उन्हें मास्टर क्राफ्टमैन के रूप में पंजीकृत किया जायेगा और उनके माध्यम से नये क्राफ्टमैन विकसित कराये जायेंगे।

4.3.9- एक अभियान चलाकर हस्तशिल्पियों को बैंकों से आर्टीजन क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

4.3.10-हस्तशिल्पियों द्वारा आर्टीजन क्रेडिट कार्ड से प्राप्त बैंक ऋण के लिए ब्याज अनुदान की एक नयी योजना चालू की जायेगी।

4.3.11- हस्तशिल्पियों की आवश्यकतानुसार कच्चेमाल के डिपो निजी क्षेत्र में खोलने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा ।

4.3.12-हस्तशिल्पियों की आवश्यकतानुसार वैकल्पिक कच्चे माल विकसित करने के लिये अनुसंधान/तकनीकी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4.3.13-उत्पादों के मानकीकरण/प्रमाणीकरण के लिए टेस्टिंग लेबोरेटरीज की स्थापना की जायेगी।

4.3.14-हस्तशिल्प उत्पादन, कौशल विकास, कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादों के लिए वेयर हाउस की सुविधा आदि से सुसज्जित इन्टीग्रेटेड हैण्डीक्राफ्ट पार्क की स्थापना निजी क्षेत्र के सहयोग से की जायेगी।

4.4-हस्तशिल्प उत्पादों की विपणन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना तथा निर्यात में वृद्धि सुनिश्चित करना:-

4.4.1- हस्तशिल्प उत्पादों के प्रदर्शन एवं विपणन के लिये सूचना तकनीकी का प्रयोग करते हुये ''उ0प्र0 हस्तशिल्प'' का पोर्टल विकसित किया जायेगा।

4.4.2-हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं ब्राण्ड प्रमोशन के लिए प्रयास किये जायेंगे।

4.4.3- प्रदेश के हस्तशिल्प के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु एक ''कॉफी टेबुल बुक'' तैयार की जायेगी जो देश एवं प्रदेश के पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों यथा पॉच सितारा होटलों/एयर पोर्ट काफी लाऊॅज इत्यादि में प्रदर्शित की जायेगी ।

4.4.4- हस्तशिल्प विशेष के लिए क्राफ्ट-विलेज निजी क्षेत्र के सहयोग से विकसित किये जायेंगे।

4.4.5- हस्तशिल्प को पर्यटन से जोड़ते हुये हस्तशिल्प बाहुल्य स्थानों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित किया जायेगा।

4.4.6- हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित माल के प्रदर्शन एवं विपणन हेतु लखनऊ में एक उच्चस्तरीय हैण्डीक्राफ्ट मार्ट की स्थापना करायी जायेगी ।

4.4.7- लखनऊ के अलावा प्रदेश के अन्य जनपदों, मण्डलों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर निजी क्षेत्र में अथवा पी0पी0पी0 मोड में हैण्डीक्राफ्ट मार्ट की स्थापना करायी जायेगी।

4.4.8- प्रदेश के हस्तशिल्पियों का हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े डिजाईनरों, व्यवसायिओं एवं निर्यातकों से इन्टरफेस कराकर हस्तशिल्प विपणन को बढ़ावा दिया जायेगा ।

4.4.9- अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय हस्तशिल्प मेलों/लोक-कला मेलों में प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पादों का अधिकाधिक प्रदर्शन करते हुए सहभागिता सुनिश्चित करायी जायेगी।

4.4.10-प्रदेश के हस्तशिल्पियों के लिए बायर-सेलर मीट/कार्यशाला का आयोजन कराया जायेगा।

4.4.11-प्रदेश में वर्तमान में लागू हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना/निर्यात प्रोत्साहन योजना को यथाआवश्यक व्यावहारिक संशोधन के साथ जारी रखा जायेगा ।

4.5- हस्तशिल्पियों के जीवनस्तर में सुधार एवं व्यक्तिगत विकास सुनिश्चित करना:-

4.5.1- हस्तशिल्प का कार्य परम्परागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने वाला व्यवसाय होता है। परिवार के नये पीढ़ी के लोग लगातार सम्पर्क एवं उनके साथ कार्य करते रहने के कारण स्वतः दक्ष हो जाते है। उनमें आधुनिकता लाने के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अतः हस्तशिल्पियों को उच्च स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई जायेगी।

4.5.2- हस्तशिल्पियों के लिए प्रदेश सरकार के सामान्य सुविधा एवं प्रशिक्षण केन्द्र (कामन फैसिलिटी सेन्टर) को आधुनीकृत करते हुए पेशेवर तरीके से संचालित कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी हस्तशिल्प से सम्बन्धित सामान्य सुविधा एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

4.5.3-हस्तशिल्प पुरस्कार योजना का दायरा बढ़ाया जायेगा।

http://shastradesh.up.nic.in

4.5.4-प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हस्तशिल्प पेंशन योजना को और उदार बनाया जायेगा।

4.5.5-हस्तशिल्पियों को सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिक से अधिक आच्छादित कराया जायेगा।

4.5.6-हस्तशिल्पियों की समस्याओं के निराकरण एवं उनके विकास व उत्थान के लिए एक आर्टीजन वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जायेगा जिसमें हस्तशिल्प के व्यवसाय में लगे हुए व्यापारियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जायेगी ।

4.5.7-हस्तशिल्पियों/दस्तकारों द्वारा हस्तशिल्प उत्पादन में उपयोग की जा रही बिजली को रियायती दरों पर सुलभ कराया जायेगा।

4.6- अन्य सुविधायें:-

4.6.1- बच्चों को प्रदेश की हस्तशिल्प के गौरवशाली इतिहास एवं वर्तमान प्रास्थिति के महत्व की जानकारी देने के लिए कोर्स पुस्तकों में हस्तशिल्प का एक चैप्टर शामिल किया जायेगा।

4.6.2- प्रदेश में हस्तशिल्प संग्रहालय की स्थापना की जायेगी।

4.6.3- प्रदेश में एक डिजाईन विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

4.6.4- उ0प्र0 हस्तशिल्प विपणन एवं विकास निगम के माध्यम से हस्तशिल्प उत्पादों के व्यवसाय को बढ़ावा दिया जायेगा।

5- नीति का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

5.1- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन नीति के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए नोडल विभाग होंगे।

5.2- इस नीति के क्रियान्वयन के लिए सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यकतानुसार शासनादेश निर्गत किये जायेंगे। यदि नयी नियमावली बनायी जानी है तो उसे शीघ्र तैयार किया जायेगा। यदि पुरानी किसी नियमावली में किसी संशोधन की आवश्यकता होगी तो उसे संशोधित किया जायेगा।

5.3- समयबद्ध रूप से नीति का क्रियान्वयन किया जायेगा।

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in